

सं० सं० 14 / एम 11-4 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 2.9.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अजित कुमार सिंह पिता-स्व. सीता राम सिंह ग्राम+पो0-बेरथ थाना-चौड़ी जिला-भोजपुर	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	मंजु पुष्पक पति-मुकेश भगत ग्राम+पो0-धनौत थाना-रूपसपुर, जिला-पटना	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,00,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000 /-(पांच लाख) का क्रास चेक सं०.....909275 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

ज्ञापांक - 1081 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 28-9-15

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

424915

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,

इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,

वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 2.9.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	तारा मुनी देवी पति-विरेन्द्र सिंह ग्राम-तेंदुआ टोला पो०-बड़हरी थाना-करगहर जिला-रोहतास हौस्पिटल नं०-4457/15	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	अंजनी देवी पति-सूर्य देव भगत ग्राम-बेलमा पो०-धर्मशाला, थाना-टीकारी जिला-गया हौस्पिटल नं०-2781/15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	शेराज आलम पिता-मो० जाहीर हुसैन ग्राम-नया टोला, ढाका पो०-थाना-ढाका जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-17226/15	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	रुबी देवी पति-राम अवधेश राय ग्राम-बोदाही पो०-थाना-दावथ जिला-रोहतास हौस्पिटल नं०-2565/14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
5	बिन्धवासनी कुमार पिता-राम अवधेश राय ग्राम-बोदाधी पो०+थाना-दावथ जिला-रोहतास हौस्पिटल नं०-497934	प्लास्टिक सर्जरी रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

21/8/15
24/9/15

6	माया पासवान पिता-रामा शंकर पासवान ग्राम+पो0-कनीयारी थाना-दिनारा जिला-रोहतास हौस्पिटल नं0-21381	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	जगदीश पाल पिता-स्व. राम चरित्रपाल ग्राम-बसगीटीया पो0-खनेठी, थाना-सोनहन जिला-भभुआ, कैमुर ओ0पी0डी नं0-11667 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	ज्ञान प्रकाश पिता-स्व0 लल्लु राम ग्राम+पो0-सीलारी थाना-शीवसागर जिला-रोहतास ओ.पी.डी0-5191 / 15	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
9	विवेक कुमार पिता-सुनील सिंह ग्राम-पश्चिमी भेलाड़ी पो0-पूर्वी भेलाड़ी थाना-नटवार, जिला-रोहतास ओ.पी.डीनं0-21827	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,55,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,55,000 /- (छः लाख पचपन हजार) रुपये का क्रास चेक सं0.....
.....909272.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-

ज्ञापांक - 1078 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
पटना, दिनांक - 28-9-15
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
24-9-15

